

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प.11(1)मं.मं./2018

जयपुर, दिनांक: 26 दिसम्बर 2018

विज्ञप्ति

शासन कार्य नियमावली के नियम-5 के अनुसरण में राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने, मुख्यमंत्री के परामर्श से, प्रत्येक मंत्री को उनके नाम के समक्ष अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है:-

1.	श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री	I. वित्त विभाग। II. आबकारी विभाग। III. आयोजना विभाग। IV. नीति आयोजना विभाग। V. कार्मिक विभाग। VI. सामान्य प्रशासन विभाग। VII. राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो। VIII. सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग। IX. गृह मामलात और न्याय विभाग।
2.	श्री सचिन पायलट, उप मुख्यमंत्री	I. सार्वजनिक निर्माण विभाग। II. ग्रामीण विकास विभाग। III. पंचायती राज विभाग। IV. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। V. सांख्यिकी विभाग।

मंत्री

3.	श्री बुलाकी दास कल्ला	I. उर्जा विभाग। II. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। III. भू-जल विभाग। IV. कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग
4.	श्री शांति कुमार धारीवाल	I. स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। II. विधि एवं विधिक कार्य विभाग और विधि परामर्शी कार्यालय। III. संसदीय मामलात विभाग।
5.	श्री परसादी लाल	I. उद्योग विभाग। II. राजकीय उपक्रम विभाग।
6.	मास्टर भंवरलाल मेघवाल	I. समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। II. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग।
7.	श्री लालचन्द कटारिया	I. कृषि विभाग। II. पशुपालन विभाग। III. मत्स्य विभाग।
8.	श्री रघु शर्मा	I. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। II. आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग। III. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई)। IV. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।

9.	श्री प्रमोद भाया	I. खान विभाग। II. गौपालन विभाग।
10.	श्री विश्वेन्द्र सिंह	I. पर्यटन विभाग। II. देवस्थान विभाग।
11.	श्री हरीश चौधरी	I. राजस्व विभाग। II. उपनिवेशन विभाग। III. कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग।
12.	श्री रमेश चन्द मीणा	I. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। II. उपभोक्ता मामले विभाग।
13.	श्री अंजना उदयलाल	I. सहकारिता विभाग। II. इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग।
14.	श्री प्रताप सिंह खाचरियावास	I. परिवहन विभाग। II. सैनिक कल्याण विभाग।
15.	श्री शाले मोहम्मद	I. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग। II. वक्फ विभाग। III. जन अभियोग निराकरण विभाग।

राज्य मंत्री

16.	श्री गोविन्द सिंह डोटासरा	I. शिक्षा विभाग (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) (स्वतंत्र प्रभार)। II. पर्यटन विभाग। III. देवस्थान विभाग।
17.	श्रीमति ममता भूपेश	I. महिला एवं बाल विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. जन अभियोग निराकरण विभाग। III. अल्पसंख्यक मामलात् विभाग। IV. वक्फ विभाग।
18.	श्री अर्जुन सिंह बामनिया	I. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. उद्योग विभाग। III. राजकीय उपक्रम विभाग।
19.	श्री भंवर सिंह भाटी	I. उच्च शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. राजस्व विभाग। III. उपनिवेशन विभाग। IV. कृषि सिंचित क्षेत्रीय विकास एवं जल उपयोगिता विभाग।

२५

20.	श्री सुखराम विश्णोई	<ul style="list-style-type: none"> I. वन विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. पर्यावरण विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। III. खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। IV. उपभोक्ता मामले विभाग।
21.	श्री अशोक	<ul style="list-style-type: none"> I. युवा मामले एवं खेल विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। III. परिवहन विभाग। IV. सैनिक कल्याण विभाग।
22.	श्री टीकाराम जूली	<ul style="list-style-type: none"> I. श्रम विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग(स्वतंत्र प्रभार)। III. सहकारिता विभाग। IV. इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग।
23.	श्री भजनलाल जाटव	<ul style="list-style-type: none"> I. गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। III. कृषि विभाग। IV. पशुपालन विभाग। V. मत्स्य विभाग।
24.	श्री राजेन्द्र सिंह यादव	<ul style="list-style-type: none"> I. आयोजना (जनशक्ति) विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. स्टेट मोटर गैराज विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। III. भाषा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। IV. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। V. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग।
25.	डॉ० सुभाष गर्ग	<ul style="list-style-type: none"> I. तकनीकी शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। II. संस्कृत शिक्षा विभाग (स्वतंत्र प्रभार)। III. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। IV. आयुर्वेद और भारतीय चिकित्सा विभाग। V. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ईएसआई) विभाग। VI. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य अवितरित विभागों का कार्य मुख्यमंत्री स्वयं देखेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(टी० रविकान्त)

शासन सचिव


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
5. प्रधान महालेखागार, राजस्थान, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, उप मुख्यमंत्री, राजस्थान।
7. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव समस्त मंत्री/राज्य मंत्री।
8. अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, समस्त निगम/बोर्ड/निगम/उपक्रम।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. समस्त विभागाध्यक्ष।
11. आयुक्त/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 26.12.2018 के विषेशांक में प्रकाशनार्थ एवं विशेषांक की 50 प्रतियां शीघ्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
13. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. सचिवालय के समस्त विभाग एवं शाखाएं।


(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निबंधक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच।
4. निबंधक, राजस्व मंडल/राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।


(कैलाश चन्द्र गुप्ता)
वरिष्ठ शासन उप सचिव